



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज०)**  
**पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)**

वाद संख्या:- 259/प्रा०पत्र/2024

दायरा दिनांक :-21.11.2024

**उनवान**

1. वेदराज आ० गोपी जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मीरां पत्नी वेदराज जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. धन्ना आ० गोपीलाल जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मुर्ति पत्नी धन्ना जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. महेन्द्र आ० स्व० रामदेवा जाति मीणा निवासी भोजगढ तह० हिण्डोली जिला बून्दी।
4. गणेश आ० स्व० रामदेवा जाति मीणा निवासी भोजगढ तह० हिण्डोली जिला बून्दी।
5. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
वकील प्रार्थी :- श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर  
वकील अप्रार्थीगण :- एक पक्षीय कार्यवाही

**आदेश**

दिनांक : 28.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 274 खसरा संख्या 3017/2496 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमियों के अगल-बगल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खाता संख्या 96 खसरा संख्या 3016/2496 स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है, तथा खाता संख्या 95 खसरा संख्या 3013/2496 जो अप्रार्थी क्रम संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 227 खसरा संख्या 2638 है, जो अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामदेव के खातेदारी में दर्ज है, लेकिन खातेदार रामदेव की मृत्यु हो जाने से उक्त उनके वारिस है जिनको अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थीगण खातेदार है, लेकिन प्रार्थीगण की भूमियों की सीमाओं पर कोई मुस्तकिन निशान नही होने से तथा सीमाबंदी के बाबत कोई स्थायी चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर कब्जा व मेडो को तोडने की कुचेष्टा करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमिया बताते है, तथा आये दिन लडाई



**उपखण्ड अधिकारी**  
**हिण्डोली**

झगडा करते है। जिस कारण प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर तारपेंसिंग वगेरा नहीं करवा पा रहे है। प्रार्थीगण चाहते है कि अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओं पर तारपेंसिंग कर सके। इस कारण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पूर्व में सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष आवेदन पेश किया था, तथा सीमाज्ञान भी करवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को आज दिन तक मानने को तैयार नहीं हुये है, अभी दिनांक 10.11.2024 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पूर्व में तारपेंसिंग नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेंसिंग करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 274 खसरा संख्या 3017/2496 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्गे नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाएंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियाँ प्रार्थीगण के सहखातेदारी की भूमियाँ है। विवादित भूमियों के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076-79 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या



Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

*Shu*  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोली

तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 274 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

**—: क्रियात्मक आदेश :-**

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 274 के खसरा सं० 3017/2496 रकबा 1.2950 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Sw 28/05/2025*  
(शिवराज मीणा)

आर०ए०एस

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोली

